भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4617** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण विकास योजना

†4617. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :
सुश्री कंगना रनौत :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :
श्री रमेश अवस्थी :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अधिसूचित पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टरों का विकास किस प्रकार किए जाने की संभावना है तथा केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण की पद्धति क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए क्रेडिट जोखिम कवरेज ढाँचे का ब्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं की बैंक-योग्यता में सुधार लाने पर इसके अपेक्षित प्रभाव क्या हैं; और

(घ) अनुसंधान, नवाचार तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत पोत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) का उद्देश्य 2047 तक घरेलू उत्पादन में प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन सकल टनभार (जीटी) तक वृद्धि करते हुए भारत की घरेलू पोत निर्माण क्षमता और समर्थ्य को सुदृढ़ करना है। प्रमुख विशेषताओं में ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकास, ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार, पोत निर्माण जोखिम कवरेज और भारतीय पोत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईएसटीसी) के माध्यम से भारतीय पोत निर्माण क्षेत्र की क्षमता का विकास करना हैं।

हरित क्षेत्र पोत निर्माण क्लस्टरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संस्थाओं के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम व्यवस्था के साथ एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना में अनुमोदित ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों के लिए पात्र मदों की लागत की 100% पूंजीगत सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

पोत निर्माण विकास योजना के तहत शुरू किए गए क्रेडिट जोखिम कवरेज ढांचे का उद्देश्य भारतीय शिपयार्डों को पोत निर्माण अनुबंधों और विक्रेता निर्भरताओं से जुड़े प्रमुख जोखिमों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें शिपयार्डों और ऋणदाताओं के सामने आने वाले प्री-शिपमेंट, पोस्ट-शिपमेंट और विक्रेता-डिफॉल्ट जैसे जोखिमों के लिए कवरेज शामिल है। यह तंत्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कथित क्रेडिट जोखिम को कम करने में मदद करता है, जिससे पोत निर्माण परियोजनाओं की बैंक-योग्यता बढ़ती है, दीर्घकालिक वित्तपोषण प्राप्त करन में आसानी होती है और इस क्षेत्र में अधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

आईएसटीसी को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में स्थापित करने के अधिदेश के साथ एक उद्योग प्रतिनिधि समिति गठित की गई है, जिसमें भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, सार्वजनिक और निजी शिपयार्ड, शिपयार्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसएआई), इंडियन मरीन डिजाइनर्स एसोसिएशन (आईएमडीए) सहित प्रासंगिक हितधारक शामिल हैं। आईएसटीसी अधिदेश भारत की पोत निर्माण डिजाइन, कार्मिकों का प्रशिक्षण, पोत निर्माण में अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण सुविधाओं संबंधी समन्वय से संबंधित क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना है।
